

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/आई-9/2019/

दिनांक:

—आदेश—

श्रीमती ईतिशा मीना, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर का निम्न अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

1.	दिनांक 01.05.2017 से 18.05.2017 तक	—	18 दिवस
2.	दिनांक 24.05.2017 से 02.06.2017 तक	—	10 दिवस
कुल अवधि		—	28 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 एवं दिनांक 07.08.2014 समसंख्यक आदेश 22.05.2009 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक के असाधारण अवकाश के बराबर प्रोबेशन अवधि में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/आई-9/2019/62

दिनांक: 29-07-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिका की सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर